

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-३ राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफँक्स :- ०१४१-२२२२४०३, ई-मेल-[dlbrajasthan@gmail.com](mailto:dlbrajasthan@gmail.com) वेब साइट:- [www.lsg.urban.rajasthan.gov.in](http://www.lsg.urban.rajasthan.gov.in)  
क्रमांक :- एफ ६( )CAO/DLB/ बजट घोषणा/2017-18/ २२३१० दिनांक :- १५-१०-१८

कार्यकारी निदेशक,  
रुडसिको, जयपुर।

विषय:- RUIRP-I के अन्तर्गत कियान्वित करवाये जा रहे कार्यों में नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 की कियान्विती के संबंध में राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सड़क सुधार से संबंधित कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.६(ङ) लेखा/डी.एल.बी./2017/सड़क निर्माण/20677 दिनांक ०८.११.२०१७ द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निकायों को इस हेतु राशि उपलब्ध करवाने के क्रम में हड्डको से राशि रु. 1572.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत करवाया गया था। जिसके क्रम में हड्डको द्वारा राशि रु. 1056.00 करोड़ (आवश्यक कटौती से पूर्व) ऋण की प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। चूंकि हड्डको द्वारा ऋण स्वीकृति के समय कार्यों की अनुमानित लागत का ९० प्रतिशत ही ऋण स्वीकृति हेतु शर्त रखी गई थी।

अतः निकायों को राशि आवंटित करते समय इस बात की सुनिश्चिता करे की निकायों को कार्यादेश की राशि की कुल ९० प्रतिशत राशि ही हस्तान्तरित हो।


  
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ ६( )CAO/DLB/ बजट घोषणा/2017-18/ २२३१-५४६ दिनांक :- १५-१०-१८

प्रतिलिपि:- निम्न रूप से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा० शासन विभाग राज० जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
- आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि यदि नगरीय निकाय द्वारा कार्यादेश से अधिक राशि के कार्यों को कियान्वित किया जाता है, तो उक्त अतिरिक्त कार्यों पर होने वाला व्यय नगरीय निकायों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

  
(हुलास राय पवार)  
मुख्य लेखाधिकारी